GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF POWER
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.98
ANSWERED ON 26.07.2022

AVAILABILITY OF COAL IN POWER PLANTS

98 SHRI JAWHAR SIRCAR:

Will the Minister of **POWER**
be pleased to state:

(a) whether Government is aware that power plants did not maintain mandatory stockpiles
of coal and that in April 2022, when the power crisis broke out, most of the plants had only around 10 per cent of the required stock; and

(b) whether Government took strict actions to ensure coal stocks at plants on the lines of decision taken on 27th May, 2022 under the Electricity Act, to ensure 10 per cent mixing of imported coal, if so, the details thereof, and if not, the reasons therefor?

A N S W E R

THE MINISTER OF POWER AND NEW & RENEWABLE ENERGY

(SHRI R.K. SINGH)

(a) & (b) : A Statement is laid on the Table of the House.

****

Q.No. 97 & Q.No. 98 were taken up together.

STATEMENT

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) & (b) OF STARRED QUESTION NO.98 ANSWERED IN THE RAJYA SABHA ON 26.07.2022 REGARDING AVAILABILITY OF COAL IN POWER PLANTS

****

(a) : Central Electricity Authority (CEA) issued coal stocking norms mandating Thermal Power Plants (TPPs) to maintain coal stock for 12 to 17 days for pithead plants and for 20 to 26 days for non-pithead plants based on its requirement at 85% Plant Load Factor (PLF) with seasonal variation in supply/consumption pattern. As per the norms, power plants have to maintain coal stock for 17 days in case of pithead plants and 26 days in case of non-pithead plants during the month of April, 2022.

As on 30.04.2022, the coal stock available was about 21.95 Million Tonnes (MT), which was about 33% of the normative stock requirement of 66.53 MT. Further, out of 173 number of TPPs with a capacity of about 2,03,347 MW, 50 plants with a capacity of 44,176 MW were having coal stock of less than 10% of normative stock requirement.

(b) : Ministry of Power (MoP) vide letter dated 28.04.2022 issued advisory to State Sector and Independent Power Producer (IPP) plants to import coal for blending @10% (by weight) of their requirement to ensure minimum required coal stock before the onset of monsoon. Central Gencos had also been instructed to take similar action. This decision was to ensure availability of adequate stock in the power plants which may cater to their demand during monsoon period when the domestic supply of coal reduces.

In this regard, various directions/orders have been issued by MoP which are as under:

i. MoP vide letter dated 13th May, 2022 to all State Govts. and SERCs to ensure all generating companies regulated by them to take immediate action for import of coal for blending as per orders of MoP so that resource adequacy is ensured.

ii. MoP vide letter dated 18th May, 2022 again advised Gencos to import coal to maintain generation and meet the power demand of the country.

iii. MoP vide another letter dated 18th May, 2022 has also issued directions under Section 107 of the Electricity Act, 2003 to CERC with copy to SERCs/JERCs to take suitable action to allow blending with imported coal as per MoP instructions.

iv. MoP vide letter dated 26th May, 2022 issued directions under Section 11 of the Electricity Act, 2003 giving a methodology to be used by the generating companies supplying power under Section 63 of the Electricity Act, 2003 and State Govts./Discoms to calculate the compensation due to blending with imported coal.

...........2.

v. MoP vide letter dated 28th May, 2022 again requested all State Gencos/IPPs to take necessary action and assess the remaining requirement of their blending with imported coal for the whole FY 2022-23 considering quantity already awarded and also separately indicate the requirements upto 30.09.2022.

vi. An Inter-Ministerial Sub Group comprising of representatives from Ministry of Power, Ministry of Coal, Ministry of Railways, CEA, Coal India Limited (CIL) and Singareni Collieries Company Limited (SCCL) meet regularly to take various operational decisions to enhance supply of coal to thermal power plants as well as for meeting any contingent situations relating to Power Sector including to alleviate critical coal stock position in power plant.

Based on the performance of Generation Companies (GENCOS) to lift offered domestic coal and action taken on import for blending, Sub-Group in its meeting decides to allocate Railway rakes to GENCOs.

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-98
जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2022 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों में कोयले की उपलब्धता

***98. श्री जवाहर सरकारः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विद्युत संयंत्रों ने कोयले का अनिवार्य भंडारण नहीं किया था और अप्रैल, 2022 में, जब बिजली संकट उत्पन्न हुआ तो अधिकांश संयंत्रों के पास अपेक्षित भंडार का लगभग 10 प्रतिशत कोयला ही मौजूद था; और

(ख) क्या सरकार ने आयातित कोयले के 10 प्रतिशत मिश्रण को सुनिश्चित करने हेतु विद्युत अधिनियम के तहत 27 मई, 2022 को लिए गए निर्णय की तर्ज पर संयंत्रों में कोयले के भंडार को सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रखा दिया गया है।

****

प्र.सं.97 और प्र.सं.98 पर साथ-साथ चर्चा की गई।

<u>**विवरण**</u>

"विद्युत संयंत्रों में कोयले की उपलब्धता" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 26.07.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 98 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने संशोधित कोयला भंडारण मानदंड जारी किए हैं जिनमें विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति/खपत पैटर्न में मौसमी घट-बढ़ के साथ 85% पीएलएफ पर अपनी आवश्यकता के आधार पर पिटहैड संयंत्रों के लिए 12 से 17 दिन का और नॉन-पिटहैड संयंत्रों के लिए 20 से 26 दिनों का कोयला भंडार बनाए रखने हेतु अधिदेशित किया है। मानदंडों के अनुसार, विद्युत संयंत्रों को अप्रैल, 2022 माह के दौरान पिटहैड संयंत्रों के मामले में 17 और नॉन-पिटहैड संयंत्रों के मामले में 26 दिन का कोयला भंडार बनाए रखना है।

दिनांक 30.04.2022 तक की स्थिति के अनुसार, सीईए द्वारा दैनिक आधार पर निगरानी किए गए विद्युत संयंत्रों में लगभग 21.95 मिलियन टन (एमटी) का कोयला भंडार उपलब्ध था, जो 66.53 एमटी की निर्देशात्मक भंडार अपेक्षा का लगभग 33% था। इसके अतिरिक्त, सीईए द्वारा दैनिक आधार पर निगरानी किए गए लगभग 2,03,347 मेगावाट क्षमता के 173 विद्युत संयंत्रों में से 44,176 मेगावाट क्षमता के 50 संयंत्रों में कोयला भंडार निर्देशात्मक भंडार अपेक्षा के 10% से कम था।

(ख) : विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने दिनांक 28.04.2022 के पत्र द्वारा मानसून शुरू होने से पहले न्यूनतम अपेक्षित कोयला भंडार सुनिश्चित करने के लिए राज्य क्षेत्र तथा आईपीपी संयंत्रों को अपनी आवश्यकता पर 10% की दर से ब्लैंडिंग हेतु कोयले का आयात करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय जेनकोस को इसी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित भी कर दिया गया था। विद्युत मंत्रालय का यह निर्णय विद्युत संयंत्रों में पर्याप्त भंडार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए था जिससे मानसून की अवधि के दौरान जब कोयले की घरेलू आपूर्ति कम हो जाती है, तब उनकी मांग की पूर्ति की जा सके।

इस संबंध में, विद्युत मंत्रालय द्वारा विभिन्न निदेश/आदेश जारी किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

i. विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 13 मई, 2022 के पत्र द्वारा सभी राज्यों तथा एसईआरसीज को उनके नियंत्रणाधीन सभी उत्पादन कंपनियों को विद्युत मंत्रालय के आदेशों के अनुसार ब्लैंडिंग के लिए कोयले का आयात करने हेतु तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, ताकि संसाधनों की पर्याप्तता सुनिश्चित की जा सके।
ii. विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 18 मई, 2022 के पत्र द्वारा जेनकोज को उत्पादन बनाए रखने तथा देश की विद्युत मांग को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करने की पुनः सलाह दी है।

iii. विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 18 मई, 2022 के एक अन्य पत्र द्वारा भी विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 107 के अंतर्गत एसईआरसीज/जेईआरसीज को प्रतिलिपि सहित सीईआरसी को एमओपी के अनुदेशों के अनुसार आयातित कोयले के साथ ब्लैंडिंग की अनुमति देने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए निदेश जारी किए हैं।

iv. विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 26 मई, 2022 के पत्र द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 11 के अंतर्गत, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत विद्युत की आपूर्ति करने वाली उत्पादन कंपनियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली कार्य पद्धति देते हुए, और राज्य सरकारों/डिस्कॉमों द्वारा आयातित कोयले के साथ ब्लैंडिंग के कारण क्षतिपूर्ति की गणना करने के निदेश जारी किए हैं।

v. विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 28 मई, 2022 के पत्र द्वारा सभी राज्य जेनकोज/आईपीपीज से आवश्यक कार्रवाई करने और पहले से अवार्ड की जा चुकी मात्रा पर विचार करते हुए संपूर्ण वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयातित कोयले के साथ अपनी ब्लैंडिंग की शेष आवश्यकता का मूल्यांकन करने और दिनांक 30.09.2022 तक की आवश्यकता को भी अलग से दर्शाने के लिए पुनः अनुरोध किया है।

vi. विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा सिंगरैनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों का एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने के साथ-साथ विद्युत संयंत्रों में कोयला स्टॉक की संकटपूर्ण स्थिति को कम करने सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करता है।

प्रस्तावित घरेलू कोयले को उठाने के लिए उत्पादन कंपनियों (जेनकोज) के प्रदर्शन और ब्लैंडिंग के लिए आयात के संबंध में की गई कार्रवाई के आधार पर, उप-समूह अपनी बैठक में जेनकोस को रेलवे रेकों को आबंटित करने के लिए निर्णय लेता है।

****

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question Nos. 97 and 98 are of the same nature. ...*(Interruptions)*... Jawhar Sircarji, Question No. 97. ...*(Interruptions)*... माननीय राघव जी, आपका फर्स्ट सप्लीमेंटरी। ...(**व्यवधान**)...

श्री राघव चड्ढा : सर, कोयले का और महंगाई का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर मैं सवाल करना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)... उपसभापति महोदय, अगर सदन ऑर्डर में नहीं होगा तो मैं अपना सवाल कैसे पूछूंगा? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : मैं आप सबसे यही आग्रह कर रहा हूं कि सदन को ऑर्डर में लाएं। ...(**व्यवधान**)...आप रूल्स को फॉलो करें, सदन अपने आप ऑर्डर में आ जाएगा। ...(**व्यवधान**)...राघव जी, मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री राघव चड्ढा : सर, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, लेकिन विपक्ष के जो साथी खड़े हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्लीज़, आप क्वेश्चन पूछें। ...(**व्यवधान**)... मुझे लगता है कि आप सवाल पूछने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री राघव चड्ढा : सर, मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : माननीय जवाहर सरकार जी। ... (**व्यवधान**)... Jawhar Sircarji, please put your question. ...*(Interruptions)*... Please put your question, Jawhar Sircarji. ...*(Interruptions)*... No. ... *(Interruptions)*... I am moving to the next question. ...(Interruptions)... Question Hour is over.

The House stands adjourned till 2.00 p.m.